



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082024-256669
CG-DL-E-27082024-256669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3301]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946

No. 3301]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2024

का.आ. 3618(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद् द्वारा, त्रिपुरा राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री सी. के. मालसोम, टीसीएस ग्रेड-I (चयन ग्रेड), उप सचिव, राजस्व, त्रिपुरा सरकार को श्री सब्यसाची सिंह, टीसीएस ग्रेड-II, त्रिपुरा सरकार के स्थान पर, अतिरिक्त कार्यभार आधार पर, दो वर्ष की अवधि के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/83/2017-जीपी-II(ई-50502)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2024

S.O. 3618(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri C. K. Malsom, TCS Grade-I (Selection Grade), Deputy Secretary, Revenue, Government of Tripura in place of Shri Sabyasachi Singh, TCS Grade-II, Government of Tripura to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on additional charge basis, for a period of Two Years, for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Tripura.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/83/2017-GP-II (E-50502)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.